

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/पर्यावरण/2017/SPL

दिनांक : 18.04.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा

विषय :- वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवस्था के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली का पत्र दिनांक : 11 मार्च 2022 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 11.06.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में मानसून आने की सम्भावना है। विद्यालय परिसर में निम्नांकित कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु आप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करें :-

1. विद्यालय में जल एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार मानसून से पूर्व वृक्षारोपण/किचन गार्डन तैयार करने की पूर्व तैयारी करें।
2. विद्यालय परिसर साफ सुथरा रहे एवं उसमें पेड़ पौधे लगाये जाकर विद्यालय परिसर को सुन्दर बनाये रखा जावे।
3. विद्यालय परिसर में नये प्रवेश एवं अन्य विद्यार्थियों से अधिकतम छायादार एवं फलदार पेड़ लगवाया जावे व सूचना पट्टिका पर विद्यार्थी का नाम अंकित कर पेड़ पर टांगी जावे।
4. पेड़ की सुरक्षा हेतु लोहे की जाली/कांटेदार बाड़ रक्षा कवच के रूप में लगाई जाए।
5. लगाये गये पौधे की सुरक्षा व रखरखाव की जिम्मेवारी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दी जावे।
6. इसके लिए संस्था प्रधान एवं समस्त स्टाफ भी सक्रिय रूप से कार्य करें।
7. संस्था में व इसके इर्द-गिर्द पॉलीथिन नजर नही आये व पॉलीथिन बैग का प्रयोग संस्था में न हो।

साथ ही लेख है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन एवं वन क्षेत्रों की कमी से पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने के लिये विद्यालय स्तर पर ही छात्र-छात्राओं में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका (Kitchen Garden) एवं हरित विद्यालय योजना प्रारम्भ कर विद्यालयों में इसे लागू किया जाना है।

गांधी वाटिका एवं बा-बापू वन की स्थापना :-

शहरी क्षेत्रों में गांधी वाटिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बा-बापू वन की स्थापना की जानी है। प्रत्येक वाटिका में कम से कम 150 फलदार पौधे रोपण कर उस वाटिका का नामकरण "गांधी वाटिका" किया जाए।

उद्देश्य :-

1. पर्यावरण की समझ पैदा करना।
2. पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण संरक्षण द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाना।
4. समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ना।

5. वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण।
6. विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अनिवार्य करना।

गतिविधियां :-

1. विद्यालय परिसर, खेल मैदान एवं विद्यालय के 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।
2. विद्यालय में वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे-पर्यावरण संरक्षण से संबंधी वार्ताएं, निबन्ध प्रतियोगिता, रोल प्ले, रैली, शैक्षिक भ्रमण आदि।
3. विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय वाटिका क्लब या हरित विद्यालय क्लब जैसे-समूहों का गठन करना व इको क्लब को सक्रिय करना।
4. कम से कम 2 छात्र-छात्राओं (कक्षा 12 के छात्रों के अलावा) एवं उनके शिक्षकों को पौधे की देखभाल हेतु गोद देना।
5. विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी/पीटीए तथा पूर्व छात्र-छात्राओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़कर उनसे भी वृक्षारोपण करवाना तथा उनको भी पौधे गोद देना।

संस्था प्रधान के दायित्व :-

1. समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
2. ग्राम सभा की बैठक में गढ़दे खुदवाने हेतु प्रस्ताव रखवाना।
3. पंचायत के माध्यम से मनरेगा, एसएफसी, एफएफसी व एसएमसी/एसडीएमसी तथा समुदाय के सहयोग से गढ़दे खुदवाना एवं पौधे लगवाना।
4. पौधों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
5. कार्यक्रम की उचित मॉनीटरिंग करें ताकि कार्यक्रम औपचारिकता बनकर ना रहें।
6. गुणवत्ता युक्त 3 फीट उंचे पौधें कहां से लाने हैं, उस नर्सरी का चयन कर मांग प्रस्तुत करें।
7. पौधों/औजारों की खरीद के लिए राशि एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा (स्वैच्छिक अनुदान, अक्षय पेटिका एवं विकास कोष) खर्च की जावें।
8. वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रत्येक माह एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में समीक्षा करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व :-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पीईईओ से पाक्षिक फीडबैक एवं मॉनीटरिंग करवाना।
2. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु नरेगा अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को विकास अधिकारी से स्वीकृति निकलवाना।
3. ब्लॉक के समस्त अधिकारियों को आवश्यक पौधों की मांग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।

वृक्षारोपण एवं हरित राजस्थान के संबंध में सत्र 2022-23 हेतु माहवार कार्य योजना :-

| क्र. सं. | गतिविधियाँ | माह |
|----------|---|----------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ● एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में वृक्षारोपण पर चर्चा। ● 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन ● पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड एवं चार दिवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। | अप्रैल |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ● वातावरण निर्माण छात्र-छात्राओं व अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी व रैली का आयोजन। | 15 मई तक |

| | | |
|---|--|-------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • विद्यालय वाटिका क्लब या पर्यावरण संरक्षण क्लब का कक्षानुसार गठन। • वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारण (पानी की उपलब्धता एवं स्थान को देखते हुए) व विद्यालय का नजरी नक्शा बनाना। • विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियाँ यथा- निबंध प्रतियोगिता, रोलप्ले आदि का आयोजन। • संसाधनों का आंकलन व योजना निर्माण जैसे विद्यालय के खाली परिसर के अनुपात में गढ़ड़े खुदवाना तथा पौधों की व्यवस्था करना। | |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम पंचायत से संपर्क करना (नरेगा/एसएमसी/एसडीएमसी) • 20 से 25 जून तक वृक्षारोपण हेतु गढ़ड़े खुदवाना। | जून |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम सप्ताह में (मानसून के अनुसार) विद्यालय स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना। • एसएमसी/एसडीएमसी के सदस्यों की वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाए। • स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर वृक्षारोपण करावें। • कक्षा एवं विद्यार्थी समूह को पौधे गोद देकर उनका संरक्षण सुनिश्चित करवाना तथा शिक्षकों को समूह का प्रभारी नियुक्त करना। • विद्यालय के किसी एक शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को वृक्षारोपण प्रभारी नियुक्त करना। • विद्यालय के अनुपयोगी पानी को पौधों के लिए उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाना। • विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन का निर्माण करना। • पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विद्यार्थियों द्वारा रेली एवं सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं एवं समाज को जागरूक करना। • पीटीए बैठक में संस्था प्रधान एवं अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु जागरूक करना। | 10 जुलाई तक |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • पौधों के नाम व बायोलोजिकल नाम का टेग बनाकर पौधों के पास लगवाना। • पीटीए की बैठक में विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी देना। | अगस्त |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • 16 सितम्बर को ओजोन दिवस के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। • एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा एवं भामाशाह सहयोग हेतु प्रयास। | सितम्बर |
| 7 | <p>लगाये गये पौधों में से मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों को लगाना एवं उनकी पुनः जिम्मेदारी देना</p> | अक्टूबर |
| 8 | <p>26 नवम्बर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का आयोजन करना जिसमें विभिन्न गतिविधियों वन भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले</p> | नवम्बर |

| | | |
|----|---|---------|
| | विद्यालय का भ्रमण, रंगोली, पोस्टर निर्माण आदि गतिविधियों का आयोजन कर कम से कम 3 फोटो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को प्रस्तुत कराना। | |
| 9 | शीतकालीन अवकाश में पौधों की सार-संभाल हेतु विशेष कार्यदलों का गठन (छात्र, शिक्षक, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों में से) | दिसम्बर |
| 10 | 26 जनवरी के दिन वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं भामाशाहों का सम्मान करना। | जनवरी |
| 11 | ब्लॉक निष्पादन समिति में समस्त पीईईओ के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करना। | फरवरी |
| 12 | निर्धारित प्रपत्र में सूचना पोर्टल पर आदिनांक तक करें। | मार्च |


 (काना राम)
 आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली को उनके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को आवश्यक प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अलवर एवं भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्ययोजना तैयार कर निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली को भिजवाते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक शिक्षा।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
9. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन मा.शि.राज., बीकानेर।
10. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर